HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1240/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 1681/2025

Saleem Son Of Jamasa, Resident Of Village Satwadi, Police Station Pahadi, Currently Assistant Employee, Irrigation Department Kaman And Inhabited (R/o)- Government Quarter, Irrigation Department Kaman, Police Station Kaman. (At Present In Central Jail- Bharatpur Rajasthan).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh with Mr. Sandeep Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

17/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सं0–2, भरतपुर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**38/2024, सरकार बनाम सलीम** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **03.06.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। विचारण के दौरान अपीलार्थी कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा है तथा वह जमानत पर आजाद भी रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी निर्णय की दिनांक 03.06.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, उनका यह भी निवेदन है कि विचारण के दौरान परिवादी, पीड़ित बालक के दादा व पीडित बालक की माता पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उनका यह भी तर्क है कि जो सैम्पल एफ.एस.एल. में भेजे गए हैं, उसके संबंध में कड़ीबद्ध साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उनका यह भी निवेदन है कि उनके द्वारा अपील में जो आधार लिए गए हैं, उन आधारों पर अभियुक्त की इस अपील में दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पीडित बालक पी0ड01 एवं उनके परिवार के सदस्य पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनका एवं अन्य साक्ष्य का समग्र अवलोकन किया। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि तथा प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं

25,000—25000/—रूपए (**अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दि. **17.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, वह उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सलीम पुत्र जमासा** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /23